न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 186/2019

–:: वादीगण ::–	बनाम	–:: प्रतिवादीगण ::–
1. युसुफ खां पुत्र इंसाफखां के का.मु. 1/1 आबीदा पत्नी युसुफ खां 1/2 मोहम्मद जाहिद पुत्र युसुफ 1/3 शेर मोहम्मद पुत्र युसुफ खां नाबालिग जरिये कुदरती वलीया माता जाति–सिपाही मुसलमान निवासी–बड़ाबास जैतारण जिला–पाली राज.।		1. शबीरखां पुत्र रहीमबक्स 2. मुनीरखां पुत्र रहीमबक्स 3. जैबुबानो पत्नी इंसाफखां 4. फिरोज पुत्र इंसाफखां जाति–सिपाही मुसलमान निवासीगण–बड़ाबास, जैतारण जिला–पाली राज.। 5. सायरकंवर पत्नी भंवरसिंह कविया जाति–चारण निवासी–नोख तहसील–रायपुर जिला–पाली राज.। 6. तहसीलदार, जैतारण।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955

तारीख रजू:.17/09/2019

उपस्थितः–

1. श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, वादीगण।
2. ईमरान खां, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 16/12/2019

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रति. के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा–रतनपुरा पटवार हल्का–जैतारण भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण तहसील–जैतारण जिला–पाली राज. में निम्नलिखित खसरा नंबर व रकबा की कृषि भूमि आई हुई है। खसरा नंबर 40/7 रकबा 24–11 बीघा किस्म चाही सोयम, खसरा नंबर 43/1 रकबा 27–12 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 50/1 रकबा 18–00 बीघा किस्म चाही सोयम, खसरा नंबर 55/1 रकबा 01–09 बीघा किस्म गैर मु. रास्ता, खसरा नंबर 56/7 रकबा 05–17 बीघा किस्म चाही सोयम, खसरा नंबर 56/2 रकबा 1–00 बीघा किस्म चाही सोयम, खसरा नंबर 79/1 रकबा 04–10 बीघा किस्म चाही सोयम आई हुई है। उपरोक्त कृषि भूमि वक्त सेटलमेन्ट रहीमबक्श जी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की थी तथा उनके देहान्त के पश्चात उनके विधिक वारिसान उनकी पत्नी जैतून व पुत्रगण इंसाफखां शबीरखा, मुनीरखां के नाम जरिये फौतेदगी म्यूटेशन के राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया। नकल जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतियां संवत 2058 से 2077 तक की इस वादपत्र के साथ पेश है वादपत्र के पद संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि के खातेदार इंसाफखां पुत्र रहीमबक्स का देहान्त दिनांक 12.03.2015 को हो गया उनके देहान्त के पश्चात उनकी खातेदारी की कृषि भूमि में उनकी बेवा प्रतिवादीगण संख्या 03 जैबुबानो व पुत्र प्रतिवादीगण संख्या 04 फिरोज के नाम फौतेदगी म्युटेशन भरकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया जो कि

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

हल्का पटवारी व राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने इंसाफखां के विधिक वारिसान की कोई जानकारी लिये बिना एवं मौके की जांच किये बिना पारित उक्त दोनों प्रतिवादीगण के नाम ही खातेदारी इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में किया गया जबकि इंसाफखां पुत्र रहीमबक्स का एक और पुत्र युसुफ था जो पहले ही फौत हो चुका था जिनका देहान्त दिनांक 16.07.2008 को ही गया था परन्तु उक्त युसुफखां शादीसुदा व्यक्ति था और उसकी एक पत्नी व दो पुत्र जो वादीगण है विधिक वारिसान एवं उतराधिकारी है लेकिन इनका नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं किया गया जबकि मौके पर मृतक युसुफखां के हक हिस्से व बंट की भूमि पर वादीगण बतौर उतराधिकारी वारिसान के काबिज होकर बिना किसी रोकटोक के शांतिपूर्वक तरीके से काश्त मुतालिक तमाम कार्य करते आ रहे है। परन्तु राजस्व रेकर्ड में वादीगण का नाम इन्द्राज नहीं होने से यह घोषणा का वादपत्र खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। इंसाफखां व युसुफखां के मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रतियां साथ पेश है। वादीगण इंसाफखां के मृतक पुत्र युसुफखां के विधिक वारिसान एवं उतराधिकारीगण है एवं इंसाफखां की हक हिस्से की कृषि भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 03 व 04 के साथ साथ वादीगण का भी हक हिस्सा व अधिकार बराबर बराबर माफिक कानून है परन्तु इंसाफ खां के फौत होने पर केवल मात्र प्रतिवादीगण संख्या 03 व 04 के नाम फौतेदगी म्युटेशन पारित किया गया जो फौतेदगी म्युटेशन वादीगण के हक अधिकारों के खिलाफ अवैध व शून्य है क्योंकि वादीगण भी स्वर्गीय इंसाफखां के मृतक पुत्र युसुफखां के विधिक वारिसान पत्नी व पुत्रगण है जो इंसाफखां के हक हिस्से की भूमि में अपना नाम दर्ज करवाने के अधिकारी होने से यह वाद पत्र घोषणा का श्रीमान के समक्ष पेश है। वादीगण को अपने हक हिस्से व बंट की भूमि पर ऋण लेने की आवश्यकता होने से वादीगण ने पटवारी हल्का से सम्पर्क किया एवं जमाबन्दी की नकलें प्राप्त करने पर वादीगण को सर्वप्रथम ज्ञान हुआ कि उनका नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं है तब वादीगण ने प्रतिवादीगण को दिनांक 15.05.2019 को अपना नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने बाबत् कहा तो प्रतिवादीगण स्पष्ट इंकार हो गये। यदि वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं किया जाता है तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी एवं वादीगण अपने जायज हक हकूकों एवं अधिकारों से हमेशा हमेशा के लिए महरूम हो जायेंगे। इसलिए वादीगण के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह घोषणा का वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के श्रीमान के समक्ष सादर पेश है। प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 तथा 05 का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने से इनको प्रतिवादीगण पक्षकार बनाया गया है जबकि इनके विरूद्ध किसी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। वादीगण ने केवल मात्र इंसाफखां के हक हिस्से की भूमि में ही अपने नाम खातेदारी की घोषणा करवाने की दादरसी हेतु यह वादपत्र पेश किया गया है। बिनाय दावा दिनांक 15.05.2019 को वादीगण ने प्रतिवादीगण को अपना नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने का कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा स्पष्ट रूप से इन्कार होने पर बमुकाम जैतारण तहसील-जैतारण जिला-पाली राज. में पैदा हुआ जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में होने से यह वादपत्र श्रीमान के समक्ष पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 से 04 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ।

राजीनामा वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 04 की ओर पेश हुआ कि उपरोक्त अनवान का वादपत्र श्रीमान के न्यायालय में विचाराधीन है तथा उक्त पक्षकारान आपस में सगे रिश्तेदार है एवं एक ही परिवार के सदस्य है। इसलिए लोक अदालत की भावना से आपस में समझाई से वादीगण व प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

ने निम्न प्रकार से राजीनामा कर लिया है। यह है कि सरहद मौजा रतनपुरा हल्का जैतारण तहसील- जैतारण में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 40/7 रकबा 24-11 बीघा किस्म चाही सोयम, खसरा नंबर 43/1 रकबा 27-12 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 50/1 रकबा 18-00 बीघा किस्म चाही सोयम, खसरा नंबर 55/1 रकबा 01-09 बीघा किस्म गैर मु. रास्ता, खसरा नंबर 56/7 रकबा 05-17 बीघा किस्म चाही सोयम, खसरा नंबर 56/2 रकबा 1-00 बीघा किस्म चाही सोयम, खसरा नंबर 79/1 रकबा 04-10 बीघा किस्म चाही सोयम कुल खसरा 07 कुल रकबा 82 बीघा 19 बिस्वा स्थित है। जिसमें प्रतिवादी संख्या 03 जैबुबानो पत्नी इंसाफखां व प्रतिवादी संख्या 04 फिरोज पुत्र इंसाफ खां के साथ वादीगण को भी बराबर 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति ऐतराज नहीं है क्योंकि उक्त कृषि भूमि इंसाफखां पुत्र रहीमबक्श जी की खातेदारी की थी और इंसाफखां का देहान्त होने पर उनके वारिस पुत्र युसुफखां के नाम फौतेदगी म्युटेशन नहीं भरा गया और वादी संख्या 1/1 आबीदा युसुफखां की पत्नी है तथा वादी संख्या 1/2 मोहम्मद जाहिद व वादी संख्या 1/3 शेर मोहम्मद युसुफखां के जायन्दा पुत्रगण होकर इंसाफखां के पैत्र है। इसलिए इंसाफखां के हक हिस्से की भूमि में प्रतिवादी संख्या 03 व 04 के साथ वादीगण को भी बराबर 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादीगण का वाद माफिक इस्तदुआ के वादीगण के पक्ष में निर्णित व डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति ऐतराज नहीं है। अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि राजीनामा तस्दीक कर वादीगण का वाद माफिक इस्तदुआ वादीगण के पक्ष में निर्णित व डिक्री फरमाया जाकर राजस्व रेकर्ड में वादीगण को इंसाफखां के हक हिस्से की भूमि में प्रतिवादी संख्या 03 व 04 के साथ बराबर 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। अन्य प्रतिवादी संख्या 01, 02 व 05 के विरूद्व वादपत्र में कोई दादरसी नहीं चाही है।

हमनें पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया एवं बहरा वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। वादपत्र एवं संलग्न दस्तावेजात के अवलोकन से यह जाहिर है कि वादीगण जो कि खातेदार इंसाफ खां के स्वर्गीय पुत्र युसुफ खां के क्रमशः पत्नी एवं संतान हैं। नगरपालिका, जैतारण द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र पंजीकरण संख्या 98 दिनांक 23.07.08 एवं पंजीकरण संख्या 08118004000000400030/ 2015 दिनांक 16.03.2015 के अनुसार क्रमशः दिनांक 16.07.2008 को युसुफ खां पुत्र इंसाफ खां एवं दिनांक 12.03.2015 को इंसाफ खां पुत्र रहीमबक्ष की मृत्यु हो चुकी है। वादीगण के शपथ-पत्र, आधारकार्ड एवं राजीनामा से यह स्पष्ट है कि वादीया आबीदा मृतक युसुफ खां की पत्नी हैं और वादीगण मोहम्मद जाहिद एवं शेर मोहम्मद उसकी संतानें हैं। युसूफ की मृत्यु उसके पिता एवं खातेदार इंसाफ की मृत्यु से पूर्व हो चुकी थी। जमाबंदी संवत् 2074-2077, ग्राम-रतनपुरा के खाता संख्या नया 92 के खसरा संख्या 55/1, 56/2, 56/7 व खाता संख्या नया 90 के खसरा संख्या 40/7, 43/1, व 50/1 की वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 एवं खाता संख्या 101 के खसरा संख्या 79/1 की वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादीगण संख्या 01 से 05 सहखातेदार के रूप में दर्ज है। संलग्न राजस्व रिकॉर्ड, वाद-पत्र एवं राजीनामा से यह स्पष्ट है कि उक्त वादग्रस्त आराजी वस्तुतः वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 के पूर्वज इंसाफ खां से विरासत प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 के नाम दर्ज हुई है। वस्तुतः युसुफ खां जो कि पिता इंसाफ खां के फौत होने से पूर्व ही फौत हो चुका था, इंसाफ खां के फौत होनें पर इंसाफ खां के नाम दर्ज वादग्रस्त आराजी का

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

विरासत से नामांतकरण दर्ज करते समय उसके पूर्व मृत पुत्र की बेवा और उसकी संतानों का नाम बतौर उतराधिकारी दर्ज नहीं करके केवल उसके जीवित पुत्र फिरोज एवं बेवा जैबुबानों का ही नाम दर्ज किया गया है जो कि विधिसंगत नहीं है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 01, 02 और 05 से कोई अनुतोष नहीं चाहा है तथा न ही वादग्रस्त आराजी के विभाजन का कोई दावा किया गया है, इन्हें केवल सहखातेदार होनें के कारण पक्षकार संयोजित किया गया है जो कि वाद में आवश्यक पक्षकार नहीं है।

हमनें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा जो दिनांक 28.11.2019 को तस्दीक किया गया है, का अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि उक्त पक्षकारान ने यह स्वीकार किया है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार इंसाफ खां के फौत होनें पर उसके पूर्व मृत पुत्र युसुफ खां की बेवा एवं वादीया एवं पुत्र कमशः 1/1 आबीदा, वादी संख्या 1/3 मोहम्मद जाहिद एवं वादी संख्या 1/3 शेर मोहममद का नाम वक्त नामांतकरण दर्ज नहीं किया, अतः इनका नाम प्रतिवादी संख्या 03 व 04 के साथ 1/3 हिस्से में दर्ज किए जानें में पक्षकारान को कोई आपत्ति नहीं हैं। पत्रावली पर उपलब्ध पूर्व विवेचित दस्तावेजात एवं विधिक-प्रावधानों के अवलोकन से यह जाहिर है कि पक्षकारान द्वारा निष्पादित उक्त राजीनामा विधिसंगत है, क्योंकि वादीगण खातेदार इंसाफ खां के वारिसान होनें के कारण खातेदार इंसाफ खां के हक हिस्से की वादग्रस्त आराजी में इंसाफ खां के अन्य पुत्र फिरोज एवं बेवा जैबुबानों के साथ समान रूप से हकदार है, अतः हम हस्तगत वाद जरिए राजीनामा स्वीकार किया जाना उचित एवं विधिसंगत मानते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादीगण अंतर्गत आदेश धारा-88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 जरिए राजीनामा भंली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाता है। ग्राम-रतनपुरा, तहसील-जैतारण, जिला-पाली के खसरा नंबर 40/7 रकबा 24-11 बीघा किस्म चाही सोयम, खसरा नंबर 43/1 रकबा 27-12 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 50/1 रकबा 18-00 बीघा किस्म चाही सोयम, खसरा नंबर 55/1 रकबा 01-09 बीघा किस्म गैर मु. रास्ता, खसरा नंबर 56/7 रकबा 05-17 बीघा किस्म चाही सोयम, खसरा नंबर 56/2 रकबा 1-00 बीघा किस्म चाही सोयम, खसरा नंबर 79/1 रकबा 04-10 बीघा किस्म चाही सोयम में खातेदार एवं प्रतिवादी संख्या 03 जैबुबानों पत्नी इंसाफ खां एवं प्रतिवादी संख्या 04 फिरोज पुत्र इंसाफ खां के नाम दर्ज आराजी में से वादीगण आबीदा पत्नी युसुफ खां, मोहम्मद जाहिद पुत्र युसुफ खां एवं शेर मोहम्मद पुत्र युसुफ खां को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से के खातेदार घोषित किए जाते हैं। पर्चा डिकी पृथक से जारी हो। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 16/12/2019 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला-पाली)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण
बईजलास :– श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

–:: वादीगण ::–	बनाम	–:: प्रतिवादीगण ::–
1. युसुफ खां पुत्र इंसाफखां के का.मु. 1/1 आबीदा पत्नी युसुफ खां 1/2 मोहम्मद जाहिद पुत्र युसुफ 1/3 शेर मोहम्मद पुत्र युसुफ खां नाबालिग जरिये कुदरती वलीया माता जाति–सिपाही मुसलमान निवासी–बड़ाबास जैतारण जिला–पाली राज.।		1. शबीरखां पुत्र रहीमबक्स 2. मुनीरखां पुत्र रहीमबक्स 3. जैबुबानो पत्नी इंसाफखां 4. फिरोज पुत्र इंसाफखां जाति–सिपाही मुसलमान निवासीगण–बड़ाबास, जैतारण जिला–पाली राज.। 5. सायरकंवर पत्नी भंवरसिंह कविया जाति–चारण निवासी–नोख तहसील–रायपुर जिला–पाली राज.। 6. तहसीलदार, जैतारण।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 186/2019

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....–..... व हाजरी श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व इमरान खां मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादीगण अंतर्गत आदेश धारा–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 जरिए राजीनामा भंली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाता है। ग्राम–रतनपुरा, तहसील–जैतारण, जिला–पाली के खसरा नंबर 40/7 रकबा 24–11 बीघा किस्म चाही सोयम, खसरा नंबर 43/1 रकबा 27–12 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 50/1 रकबा 18–00 बीघा किस्म चाही सोयम, खसरा नंबर 55/1 रकबा 01–09 बीघा किस्म गैर मु. रास्ता, खसरा नंबर 56/7 रकबा 05–17 बीघा किस्म चाही सोयम, खसरा नंबर 56/2 रकबा 1–00 बीघा किस्म चाही सोयम, खसरा नंबर 79/1 रकबा 04–10 बीघा किस्म चाही सोयम में खातेदार एवं प्रतिवादी संख्या 03 जैबुबानों पत्नी इंसाफ खां एवं प्रतिवादी संख्या 04 फिरोज पुत्र इंसाफ खां के नाम दर्ज आराजी में से वादीगण आबीदा पत्नी युसुफ खां, मोहम्मद जाहिद पुत्र युसुफ खां एवं शेर मोहम्मद पुत्र युसुफ खां को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से के खातेदार घोषित किए जाते हैं। पर्चा डिकी पृथक से जारी हो। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत.....–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ...–.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 16/12/2019 को सरे ईजलास जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला–पाली)

Scanned by CamScanner

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	03	-00	स्टाम्प वकालतनामा	01	-00
स्टाम्प वकालतनामा	01	-00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत		-	महनताना वकील		
महनताना वकील		-	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	03	-00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर		-	बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा		-	मुत्फरिक		
मिजानः-	07	-00	मिजानः-	01	-00

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2019.12.18 14:38:14 IST
Reason: SelfAttested
Location: